

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-93/2010-11
बीबी रौशन खातून बनाम राज्य

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश का मूद्रांक एवं तारीख

1

2

3

2-7/3/18

आदेश

आवेदिका बीबी रौशन खातून पति मो० वशीर उददेह, माहल्ला-कुर्था, थाना-फतुर्हा, जिला-पटना के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 20/2009-10 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक 29.01.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है।

इस वाद में निम्न न्यायालय के अभिलेख की अनेक बार मांग किए जाने के बावजूद इस न्यायालय को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका।

इस वाद में आवेदक के द्वारा दिनांक 04.06.2016 से पेशी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 04.06.2016 के पश्चात सुनवाई हेतु निर्धारित लगातार तिथियाँ यथा 13.07.16, 24.08.16, 28.09.16, 12.11.16, 20.12.16, 04.02.17, 18.03.17, 02.05.17, 13.06.17, 25.07.17 को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 25.07.2017 को आवेदक को अंतिम मौका दिए जाने के बावजूद आवेदक उसके बाद की सुनवाई की निर्धारित तिथि 12.09.17, 31.10.17, 19.12.17 एवं 27.03.18 को भी उपस्थित नहीं हुए। आवेदक आज दिनांक 27.03.2018 को भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद में समाप्तन में कोई दिखचरपी नहीं है।

आवेदक के आवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 20/2009-10 में दिनांक 29.01.11 को पारित आदेश का अवलोकन किया।

आवेदिका का संक्षेप में मामला यह है कि आवेदिका की माता मो० बीबी अनोरुल फातमा के द्वारा दिनांक 12.10.2007 को मौजा मोवेन्दपुर थाना नं० 16, खाता नं० 102, खेरास नं० 149, 150 रकबा 10 धूर का एग्जीमेंट निस्वत नसीका फौजली प्रोजेक्ट बीबी रौशन खातून (आवेदिका) को सिद्ध किया।


आवेदिका के द्वारा उक्त एग्जीमेंट बरौका के आधार पर अंतलाधिकारी, फतुर्हा को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं० 303/2008-09 के अंतर्गत अंतलाधिकारी, फतुर्हा के द्वारा दिनांक 06.08.2009 को इस आधार पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया कि शिफा एकरनामा के आधार पर दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है।




आपीलवा के द्वारा दायित्व खारिज बाद सं० 303/2008-09 में पारित आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहता, पटना शिटी के न्यायालय में दायित्व खारिज अपील बाद सं० 20/2009-10 बापर दिया गया। सुनवाई के उपरांत भूमि सुधार उप समाहता, पटना शिटी के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अपीलवाणी का आधार सिर्फ इकरारनामा है जिसके आधार पर दायित्व खारिज करना न्यायोचित नहीं है। भूमि सुधार उप समाहता, पटना शिटी के द्वारा अपील अस्वीकृत करते हुए अन्यायकारी, फतुओं के दिनांक 06.08.2009 के आदेश को लागू कर दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहता, पटना शिटी का आदेश विधि सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करते हुए बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित्त एवं संशोधित।


(वजीव उदीव अंसारी)
अपर समाहता, पटना


(वजीव उदीव अंसारी)
अपर समाहता, पटना